

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 99/2015

उनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता कुल्दनमल महाजन नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
_____ (प्रार्थी)

बनाम

1. रामलाल पिता नन्दलाल ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रामनारायण नन्दराम ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ब्रदीलाल पिता राधाकिशन ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. ब्रजमोहन पिता अमृतलाल ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. जमनालाल पिता रामलाल ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. जगदीश पिता माधु कुम्हार नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. प्रतापसिंह पिता मदनसिंह राजपूत नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. देबी पिता भुरा भील नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. बुझसिंह पिता किशनसिंह राजपूत नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. रणुसिंह पिता किशनसिंह राजपूत नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. बजरंग पिता गोकल ब्राहमण नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. मधुसुदन पिता कन्हैयालाल शर्मा नि0 झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13. मु0वि0क0 बडोदा राज0ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 16.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम झांतल पटवार क्षेत्र बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 34 के आ0न0 352, 947, 948, 1038, 1045 कुल किता 05 कुल रकबा 12-12 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बल्दरखा मे दिनांक 16.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम झांतल पटवार क्षेत्र बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 34 के आ0न0 352, 947, 948, 1038, 1045 कुल किता 05 कुल रकबा 12-12 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 1300/- रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बल्दरखा मे सरे इजलास सुनाया गया।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा